कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 349/2025

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 28.09.2025

प्रेस-विज्ञप्ति, दिनांक- 28.09.2025

थाना- रौनापार, जनपद- आजमगढ़

➡ *थाना रौनापार पुलिस टीम के साथ हुई मुठभेड़ में *पशु चोरी के अभियोग* से संबंधित 01 अभियुक्त घायल/गिरफ्तार-*

➡ *थाना रौनापार क्षेत्रान्तर्गत ग्राम भदौरा तालुका नैनीजोर से बांका जाने वाली कच्ची सड़क थाना रौनापार पुलिस टीम के साथ हुई मुठभेड़ में 01 अभियुक्त के दाहिने पैर मे लगी गोली।*

➡ *घायल अभियुक्त नूर मोहम्मद उर्फ मोनू पुत्र इन्शाद नि0 ग्राम करमैनी थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 25 वर्ष को गम्भीर हालत में ईलाज हेतु सीएचसी हरैया ले जाया गया जहाँ डाक्टरों द्वारा जिला अस्पताल आजमगढ रेफर किया गया।*

➡ अभियुक्त नूर मोहम्मद के कब्जे से 01 अदद तमंचा .315 बोर, 01 अदद जिंदा कारतूस .315 बोर, 01 अदद खोखा कारतूस .315 बोर व 04 अदद प्रतिबंधित पशु व पूर्व में चुराए गये प्रतिबंधित पशु के बिक्री का बचा हुआ 15000/- रूपये नगद बरामद किया गया।

➡*अभियुक्त नूर मोहम्मद उपरोक्त पर जनपद गोरखपुर मे पशु तस्करी के अभियोग पंजीकृत है।*

दिनांक 24/25.09.25 की रात्रि में वादिनी *श्रीमती सुनीता देवी पत्नी स्व0 राजनाथ, साकिन हाजीपुर, थाना रौनापार, जनपद आजमगढ़* तथा *उमा देवी पत्नी हरिराम विश्वकर्मा, साकिन रामनगर कुकरौछी, थाना रौनापार, जनपद आजमगढ़* द्वारा अपनी-अपनी गाय चोरी की सूचना थाना स्थानीय पर दी गई। प्रकरण को पुलिस द्वारा संज्ञान में लेकर तत्काल थाना रौनापार पर *मु0अ0सं0 365/25 धारा 303 (2) बीएनएस बनाम अज्ञात के विरुद्ध* पंजीकृत किया गया।

घटना की गंभीरता को देखते हुए श्रीमान् वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा त्वरित संज्ञान लेते हुए घटना के शीघ्र अनावरण एवं अभियुक्त की गिरफ्तारी/बरामदगी हेतु पुलिस टीमों का गठन कर, निर्देश दिया गया। गठित टीमों द्वारा घटना स्थल से साक्ष्य संकलन, तकनीकी जानकारी के माध्यम से अनावरण व गिरफ्तारी हेतु लगातार प्रयास किए जा रहे थे।

श्रीमान् वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय आजमगढ़ के निर्देशन में अनावरण व गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे थे कि इसी क्रम में आज दिनांक 28.09.2025 को मुखबिर से सूचना मिली की कुछ लोग भदौरा तालुका नैनीजोर से बांका जाने

वाली कच्ची सड़क पर प्रतिबंधित पशुओं को इकट्ठा किये हैं और पिकप आने का इंतजार कर रहे हैं। प्राप्त सूचना के आधार पर पुलिस बल द्वारा मौके पर पहुँचकर सिखलाये गये तरीके से इकट्ठा व्यक्तियों को पकड़ने का प्रयास किया गया, लेकिन उनके द्वारा अपने आप को घिरता देख, जान से मारने की नियत से पुलिस पर फायर कर दिया गया। मुझ थानाध्यक्ष द्वारा कई बार आत्मसमर्पण हेतु ललकारते हुए तेज आवाज में बताया गया लेकिन जब वह सभी नहीं माने तो आत्मरक्षार्थ हम पुलिस वालों द्वारा फायर किया गया। आत्म सुरक्षार्थ पुलिस टीम द्वारा जबाबी फायरिंग में हुई मुठभेड़ में पशु चोरी के अभियोग से संबंधित प्रकाश में आये अभियुक्त नूर मोहम्मद उर्फ मोनू पुत्र इन्शाद नि0 ग्राम करमैनी थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 25 वर्ष को दाहिने पैर मे एक गोली लगी है, जिसे गम्भीर हालत में ईलाज हेतु सीएचसी हरैया भेजवाया गया जहाँ डाक्टर द्वारा जिला अस्पताल आजमगढ रेफर कर दिया गया । घायल/गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा पूछताछ में बताया गया कि मैं और मेरे दो अन्य साथी मिलकर दिनांक 24/25.09.2025 की रात्रि में ग्राम हाजीपुर व ग्राम कुकरौछी से एक-एक प्रतिबंधित पशु को चोरी किये थे। अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।

घायल/ गिरफ्तार अन्तर्जनपदीय अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

घायल/गिरफ्तार अभियुक्त नूर मोहम्मद उर्फ मोनू पुत्र इन्शाद नि0 ग्राम करमैनी थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ का अपराधिक इतिहास-

01. मु0अ0सं0 114/22 धारा 427/429 भादवि व 3/5ए/8 गोवध निवारण अधि थाना गोला जनपद गोरखपुर।
02. मु0अ0सं0 379/23 धारा 11 पशु क्रूरता अधि0 व 3/5ए/8 गोवध निवारण अधि थाना गोला जनपद गोरखपुर।
03. मु0अ0सं0 365/25 धारा 303(2), 317(2) बीएनएस थाना रौनापार जनपद आजमगढ़।

घटना में फील्ड यूनिट द्वारा वैज्ञानिक साक्ष्यों का संकलन किया जा रहा है।

इसके अलावा इलेक्ट्रानिक एवं अन्य साक्ष्यों को संकलित कर गुणवत्तापूर्वक विवेचना सुनिश्चित की जायेगी व मा0 न्यायालय में त्वरित व प्रभावी पैरवी कर दोषी के विरूद्ध सख्त कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।

➡अभियुक्तों कब्जे से **01 अदद तमंचा .315 बोर, 01 अदद जिंदा कारतूस .315 बोर, 01 अदद खोखा कारतूस .315 बोर, 04 अदद गोवंश, 15000/- रुपये नगद** बरामद किया गया। जिसके संबंध में अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

➡ गिरफ्तारी व बरादमदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 371/25 धारा 109 बीएनएस, 3/25 आर्म्स एक्ट व 3/5(A)/8 गोवध निवारण अधिनियम पंजीकृत किया गया।

घायल/ गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01.घायल अभियुक्त नूर मोहम्मद उर्फ मोनू पुत्र इन्शाद नि0 ग्राम करमैनी थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 25 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.थानाध्यक्ष रौनापार श्री मन्तोष सिंह, मय हमराह थाना रौनापार जनपद आजमगढ ।